

केन्द्र एवं राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक के परिवार की जनाधार कार्ड संख्या :-
2. आवेदक का पूरा नाम :-
3. जन्म तिथि :
4. निवास का पूर्ण पता :
(क) वर्तमान :
- (ख) स्थाई :

आवेदक की
पासपोर्ट
साइज़ फोटो
(अभिशांषा करने वाले
उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो
सत्यापित करावें)

क्या आप / आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है : हां / नहीं

यदि नहीं है तो आवेदक का मूल राज्य..... जिला..... तहसील..... पता.....

5. धर्म :
6. जाति :
7. उपजाति :
8. उपजीविका - वर्ग :
9. आवेदन केन्द्र अ. पि. वर्ग के लिए या राज्य अ. पि. वर्ग के लिए किया जा रहा है केन्द्र राज्य
10. अ. पि. व. की केन्द्र / राज्य सूची में

जाति का क्रम संख्यांक :

11. आवेदक के पिता का नाम :
12. आवेदक की माता का नाम :
13. माता - पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम :
14. आवेदक के पति का नाम :
15. आवेदक का मोबाईल नंबर :
16. माता - पिता की प्रास्थिति

	पिता	माता	पति
(क) संवैधानिक पद :
(ख) पद का नाम :
(ग) सरकारी सेवाये :

	पिता	माता	पति
(i) सेवा (केन्द्रीय / राज्य)
(ii) पद नाम :
(iii) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो ।
(iv) पद पर नियुक्ति की तारीख
(v) वर्ग / पद पर पदोन्नति के समय
आयु (यदि लागू हो)

(घ) अन्तरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन

- (i) संगठन का नाम
- (ii) पद का नाम

- (iii) सेवा की कालावधि
(दिनांक से तक)
- (iv) मृत्यु / स्थाई अक्षमता (यदि लागू नहीं हो तो छोड़ दीजिए)
- (v) मृत्यु / अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो ।
- (vi) स्थायी अक्षमता का ब्यौरा
- (ड) पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन
- (i) संगठन का नाम
- (ii) पद का नाम
- (iii) पद पर नियुक्ति की तारीख
- (च) पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुये सशस्त्र बल
(इसमे सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे)
- (i) पद नाम
- (ii) वेतनमान
- (छ) व्यवसाय वर्ग (उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के अंतर्गत आते है और व्यापार, कारोबार और उधोग मे लगे हुए व्यक्ति ।
- (i) उप- जीविका / वृत्ति
- (ज) संपत्ति के स्वामी
.....
- (झ) कृषि जोते (माता, पिता और अवयस्क बच्चों के स्वामित्व में)

(1.) अधस्थिति

(2.) जोत का आकार

(3.) क - सिंचित

ख - सिंचित भूमि का प्रकार

1.
2.
3.

ग - असिंचित ।

(4.) राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत ।

(5.) यदि जोत सिंचित / असिंचित दोनों प्रकार की है तो - राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत ।

(6.) 4 और 5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत

(क) बागान

- (i) फसल / फल
- (ii) अवस्थिति
- (iii) बागान का क्षेत्र

(ख) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और / या भवन

- (i) सम्पत्ति की अवस्थिति ।
- (ii) सम्पत्ति का ब्यौरा ।

- (iii) उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी हो।
- (ग) आय / धन
- (i) समस्त स्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय (वितनों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)
- (ii) क्या करदाता है (हां / नहीं) () यदि हां तो तीन वर्षों की विवरणी की प्रति दी जावे।
- (iii) क्या धन कर अधिनियम के अंतर्गत आता है (हां / नहीं) (यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए)
- (घ) अन्य कोई अभ्यक्तियाँ
- (ङ) मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टीया मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रीमी लियर का हूँ या नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाए जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थता / नियुक्ति रद्द करणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊँगा जो विधि या नियमों के उपबंधित की जायें।

स्थान :-

भवदीय

दिनांक : ___/___/_____

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

1. आवेदक की नवीनतम फ़ोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिए गए स्थान पर चिपकाए (स्टैपल नहीं करना है)
2. स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे - प्रथमतया राजस्व रिकॉर्ड यथा भूमि की जमाबंदी एवं आवश्यक हो तो नगर पालिका / विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास / ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखंड के पट्टे जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति यदि ऑन लाइन नहीं हो तो।
3. आय प्रमाण पत्र / आय कर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज की प्रति यदि ऑन लाइन दस्तावेज नहीं हो तो।
4. आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
5. दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा - संसद सदस्य / विधान सभा सदस्य / राजकीय अधिकारी - कर्मचारी / जिला प्रमुख / प्रधान / जिला परिषद सदस्य / सरपंच / ग्राम सेवक / पटवारी / महापौर (सचिव) / नगर निगम सदस्य / नगर पालिका अध्यक्ष / स्कूल के हैडमास्टर / संबंधित पी.एच.सी. / सी.एच.सी. के डॉक्टर / बी.डी.ओ. / सहायक अभियन्ता \
6. पुराना जाति प्रमाण पत्र की प्रति यदि ऑन लाइन नहीं हो तो।

1.

प्रमाण - पत्र

(i) गवाह* :

मैं _____ पुत्र / पुत्री श्री _____ निवासी _____
विभाग का नाम _____ पद _____ पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, कि प्रार्थी / प्रार्थीया
_____ पुत्र / पुत्री श्री _____ निवासी _____
को भली प्रकार से जानता हूँ, एवं प्रार्थी के शपथ के अनुसार इनकी वार्षिक आय (परिवार के सदस्यों की आय सहित) _____ रु. है, इसके अलावा
प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

दिनांक : ___/___/_____

(हस्ताक्षर राजकीय कर्मचारी / अधिकारी)
दूरभाष या मोबाईल नं. :

(ii) गवाह* :

मैं _____ पुत्र / पुत्री श्री _____ निवासी _____
विभाग का नाम _____ पद _____ पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, कि प्रार्थी / प्रार्थीया
_____ पुत्र / पुत्री श्री _____ निवासी _____
को भली प्रकार से जानता हूँ, एवं प्रार्थी के शपथ के अनुसार इनकी वार्षिक आय (परिवार के सदस्यों की आय सहित) _____ रु. है, इसके अलावा
प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

दिनांक : ___/___/_____

(हस्ताक्षर राजकीय कर्मचारी / अधिकारी)
दूरभाष या मोबाईल नं. :

2.

हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

श्रीमान मुताबिक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी _____ पुत्र / पुत्री श्री _____
जाति _____ की उपजाति _____ का / की है। प्रार्थी क्रीमीलियर की श्रेणी में
(‘आता है’ या ‘नहीं आता है’ अंकित करे)।

हस्ताक्षर पटवारी
हल्का नं.....

नोट :- जाति की पुष्टि हेतु प्रथमतया राजस्व रिकार्ड यथा भूमि जमाबंदी या अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट करवाए।

3.

शपथ - पत्र / बयान*

मैं _____ पुत्र / पुत्री श्री _____ निवासी _____
गाँव / शहर _____ तहसील _____ जिला _____

राजस्थान का / की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि -

- (1) मैं राजस्थान के पिछड़े वर्गों की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य / विशेष पिछड़ा वर्ग की जाति _____
का / की सदस्य हूँ।
- (2) मेरे माता / पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपाबद्ध अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रीय व राज्य
सेवाओं के समूह 'क' वर्ग - 1, समूह 'ग' वर्ग-2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल / जल / वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं है / नहीं थे।
- (3) मेरे माता पिता सरकारी / निजी क्षेत्र में पद _____ पर कार्यरत है / थे।
- (4) मेरे माता एवं पिता की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय _____ रु. है।
- (5) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण / साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।
- (6) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माइग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आए है।
- (7) यह कि मैंने किसी भी जिले / प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहीता